न्यायालयः– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरेराज, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

<u>उपस्थितिः– श्री उपेन्द्र साह</u>
<u>अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी</u>
<u>अरेराज, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी</u>

गोविन्दगंज थाना कांड संख्या 133 / 2012
G.R NO- 2710/2012
सी.आई.एस. संख्याः– 1027 / 2015
(राज्य बनाम भोला पासवान एवं अन्य)

Date	Order	Remark
06-04-2026	सूचक एवं अभियुक्त नामतः **भोला पासवान, पीकन देवी, खुदी पासवान, कान्ति देवी, रीना देवी** की ओर से हाजरी है। परिवादी की ओर से अनुमति आवेदन एवं सुलहनामा दिनांक 01.04.2026 को दाखिल किया गया है। वाद पुकार पर उपस्थित अभियुक्तगण एवं सूचक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुना। वाद में आज ही आदेश पारित किया जाता है। **<u>आदेश</u>** उभय पक्ष को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में दिनांक– 01.03.2016 को धारा– 323, 504 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया गया। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में सूचक दिनांक 01.04.2026 को संधि पत्र दाखिल कर अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर संधि पत्र का समर्थन किया है तथा कथन किया है कि अब वह आगे मुकदमा लड़ना नहीं चाहते है। उसका मुकदमा सुलह के आधार पर समाप्त कर दिया जाय। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में सूचक द्वारा अभियुक्तगण के साथ सुलह कर लिया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मुकदमा सुलह हो जाने की स्थिति में अभियुक्तों को सुलह का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस वाद के अभियुक्त नामतः **भोला पासवान, पीकन देवी, खुदी पासवान, कान्ति देवी, रीना देवी** को सुलह के आधार पर धारा– 323, 504 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अतः उनको एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में नियमानुसार जमा करें। **ह0 / –** Upendra Sah 06/04/2026 अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अरेराज, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।	